



OFFICE OF THE REGISTRAR
UNIVERSITY OF LUCKNOW
कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र०



पत्रांक :

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12 जून, 2024 में निम्नवत् प्रावधान किया गया है:-

“मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जाय।”

मा० कार्य परिषद की बैठक दिनांक 10.03.2025 के विनिश्चय संख्या 2025/01/04 पर मा० कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश सं० 11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12 जून, 2024 में वर्णित व्यवस्था को लखनऊ विश्वविद्यालय में लागू करने तथा शासनादेश को अंगीकृत करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

अतः समस्त कार्यालयाध्यक्ष उक्त शासनादेश के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(विद्या नन्द त्रिपाठी)

कुलसचिव

संख्या : P- 6539-52

दिनांक : 01/04/25

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी/समन्वयक, ल०वि०, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, ल०वि०, लखनऊ।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल०वि०, लखनऊ।
5. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल०वि०, लखनऊ।
6. कुलानुशासक, ल०वि०, लखनऊ।
7. अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर पुस्तकालय, ल०वि०, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, को-ऑपरेटिव लेडिंग लाइब्रेरी, ल०वि०, लखनऊ।
9. संकायाध्यक्ष/प्रधानाचार्य, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ल०वि०, लखनऊ।
10. सचिव/अध्यक्ष, क्रीड़ा परिषद, ल०वि०, लखनऊ।
11. ☒ इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि समस्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
12. समस्त उपकुलसचिव, ल०वि०, लखनऊ।
13. उपकुलसचिव (मीटिंग) को इस आशय से कि आगामी मा० कार्य परिषद की बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाय।
14. प्रभारी, अभिलेख अनुभाग, ल०वि०, लखनऊ।

28/3/2025
कुलसचिव